FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

12/9/18
12/11/18
18/12/18

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी   मुकाम   किशनगढ़ (अजमेर)

श्रीमती बदाम पत्नि किशनलाल पुत्री स्व0 नन्दा जाति जाट निवासी जुगलीपुरा हाल निवासी बालापुरा (ढसूक) तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. रामधन पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम जुगलीपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा – 212 राज0 काश्तकारी अधि0   नंबर 243 / 2018

ऑन लाईन नंबर **2018 / ....**

वकील प्रार्थीया श्री ध्रुव सिंह चौधरी   **वकील अप्रार्थीगण** 2020/00230

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03.08.2018	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से वकील श्री ध्रुव सिंह चौधरी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2(अ) में वर्णित ग्राम सिरूंज स्थित भूमि खाता सं0 नया 334 ख0नं0 176 रकबा 08–01–00, खाता सं0 नया 335 ख0नं0 172 रकबा 00–01–00, ख0नं0 177 रकबा 14–17–00 पैरा सं0 2(स) में वर्णित ग्राम जुगलीपुरा स्थित खाता सं0 नया 56 ख0नं0 72 रकबा 06–05–00, ख0नं0 87/3 रकबा 00–05–00, ख0नं0 95 रकबा 07–05–00 व ख0नं0 175 रकबा 12–14–00 पैरा सं0 2(द) में वर्णित ग्राम गहलपुर स्थित भूमि खाता सं0 नया 201 ख0नं0 292 रकबा 06–04–00, ख0नं0 293 रकबा 01–08–00, ख0नं0 299 रकबा 11–18–00, ख0नं0 300 रकबा 00–17–00, ख0नं0 301 रकबा 00–09–00, ख0नं0 302 रकबा 01–16–00 एवं पैरा सं0 2(य) में वर्णित ग्राम गोली स्थित भूमि खाता सं0 182 रकबा 342 रकबा 95–12–00 भूमि के वर्तमान गलत अंकन के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 किसी प्रकार से उक्त आराजी को बेचान, बख्शीश, वसीयत, रहन आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न पंहुचाये उसे बेदखल नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं0 38 को पाबन्द करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सूनी जाकर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया को कारित है। अतः अप्रार्थी सं0 1, 2 व 38 को विवादित आराजी की रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से दिनांक 16.08.2018 तक पाबन्द किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 16/8/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

7/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष० उप० वकील पक्षी द्वारा संशोधित जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी LR हेतु दिनांक 26/12/25 को पेश हो।
WB

26/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनु०। न्यायालय समय में कई-2 बार आवाज लगाई गई किन्तु वकील वादी अनु०। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली पूर्ण तकमील होकर नम्बर से कम हो। WB